11/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद सं0 207/2021

प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी टिकावड़ा (अजमेर)

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09/12/2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी टिकावड़ा (अजमेर) द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिकावड़ा खेल मैदान हेतु आवंटित भूमि की तरमीम परिवर्तन बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ से मौका एवं रिकार्ड की जांच चाही गई।

प्रधानाचार्य एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी टिकावड़ा (अजमेर) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टिकावड़ा को ग्राम टिकावड़ा के चारागाह भूमि ख0नं0 272 कुल रकबा 16.2447 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 20–00–00 भूमि जिसके वर्तमान ख0नं0 788/272 रकबा 20–00–00 यानि 3.2360 हैक्टेयर भूमि है को टिकावड़ा खेल मैदान हेतु आवंटित की गई जाकर तरमीम की गई थी। नक्शे में की गई तरमीम के अनुसार दक्षिण दिशा गें स्थित भूमि रकबा 04–10–00 भूमि पर स्कूल का किसी प्रकार का कब्जा नहीं है एवं उत्तर दिशा में जो तरमीम की गई है वो मौका कब्जा अनुसार नहीं है तथा उत्तर दिशा में मौका कब्जा के अनुसार तरमीम संशोधन करवाने का निवेदन किया।

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार उक्त खेल मैदान भूमि विद्यालय के नाम जर्ये नामान्तकरण सं0 [illegible] से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जो कि श्रीमान जिला कलक्टर [illegible] अजमेर के आदेश क्रमांक/राज0/ग्रा0वि0शि0/[illegible] 17(सी) [illegible] 107 दिनांक 23.07.1993 से दर्ज हुआ है। उक्त स्थल पर एक पक्का दोड़ने हेतु [illegible] बना हुआ है इस ट्रेक [illegible] उत्तर दिशा में एक क्रिकेट ग्राउण्ड पिच बनी हुई है। उक्त ट्रेक व ग्राउण्ड के पूर्वी मेड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.14 14:05:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

मेडबन्दी लगी हुई है। जिस पर मौके पर राजस्व नक्शा अनुसार ख0नं0 788/272 का सीमाज्ञान करने पर उक्त ट्रेक के उत्तर में बने क्रिकेट ग्राउण्ड के मध्य बनी पतली पिच तक खेल मैदान की सीमा समाप्त हो जाती है जिससे मौके पर उक्त क्रिकेट ग्राउण्ड आधा कट जाता है। विद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त खेल मैदान (क्रिकेट ग्राउण्ड) को मौके अनुसार यथावत रखने बाबत् तरमीम परिवर्तन बाबत् आवेदन किया है जिसके अनुसार उक्त ख0नं0 788/272 के दक्षिण भाग जो कि कब्रिस्तान ख0नं0 1006/272 के समानान्तर भाग जो कि रिक्त है चारागाह हेतु छोड़ते हुए उसके स्थान पर ख0नं0 788/272 के उत्तरी भाग में उसी अनुपात में रकबा तरमीम करवाकर तरमीम परिवर्तन करवाना चाहता है। मौके पर ट्रेक व क्रिकेट पिच एवं ख0नं0 788/272 की पूर्वी मेडबन्दी के अतिरिक्त उक्त खसरा नम्बर में कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं है एवं रिक्त है। मौके पर उपस्थित लोगों से जानकारी करने पर बताया कि उक्त दोनो खसरा नम्बर के संबंध में किसी प्रकार का रिकार्ड व मौके संबंधी कोई विवाद नहीं है मौके पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होकर रिक्त है। उपस्थित लोगो द्वारा बताया कि उक्त मैदान के चारो ओर चारागाह ख0नं0 272 होने से प्रार्थना पत्र अनुसार नवीन तरमीम प्रतिस्थापित की जाती है तो दोनो खसरा नम्बर के कुल रकबे में कोई अन्तर नहीं आता है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित लोगो द्वारा प्रार्थना पत्र अनुसार तरमीम परिवर्तन हेतु कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाकर अपनी सहमती दी गई।

हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विद्यालय प्रशासन द्वारा उक्त खेल मैदान (क्रिकेट ग्राउण्ड) को मौके अनुसार यथावत रखने बाबत् तरमीम परिवर्तन बाबत् आवेदन किया है जिसके अनुसार उक्त ख0नं0 788/272 के दक्षिण भाग जो कि कब्रिस्तान ख0नं0 1006/272 के समानान्तर भाग जो कि रिक्त है चारागाह हेतु छोड़ते हुए उसके स्थान पर ख0नं0 788/272 के उत्तरी भाग में उसी अनुपात में रकबा तरमीम करवाकर तरमीम परिवर्तन करवाना चाहता है। मौके पर ट्रेक व क्रिकेट पिच एवं ख0नं0 788/272 की पूर्वी मेडबन्दी के अतिरिक्त उक्त खसरा नम्बर में कोई कच्चा पक्का निर्माण नहीं है एवं रिक्त है। प्रधानाचार्य द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा रिपोर्ट अनुसार नवीन तरमीम प्रतिस्थापित की जाती है तो दोनो खसरा नम्बर के कुल रकबे में कोई अन्तर नहीं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.14 14:05:24 IST
Reason: SelfAttested

आता है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रकबा यथावत रखते हुए राजस्व मानचित्र में पूर्व तरमीम के स्थान पर नवीन प्रतिस्थापित तरमीम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

आदेश मैरे प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प एवं केम्प कोर्ट 09/11/2021 में मजमे आम में लिखाया जाकर आज दिनांक 09/11/2021 को सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.02.14 14:05:24 IST
Reason: SelfAttested